न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व मु0 नं0 63/2015

1. श्रीमती रूकमा पत्नी श्री बी.एल. भण्डारी जाति माहेश्वरी निवासी – 2/190, तिरूपति विला, साकेत नगर, ब्यावर (राज0)

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. कु0 आकांक्षा मल्होत्रा पुत्री श्री नरेश मल्होत्रा निवासी रविदत्त आर्य नगर, पुराना मसूदा रोड़, ब्यावर जिला अजमेर जरिये मुख्त्यार आम श्री नरेश कुमार मल्होत्रा पुत्र श्री लाजपतराय मल्होत्रा निवासी – 34–35, रविदत्त आर्य नगर, पुराना मसूदा रोड़, ब्यावर जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये भूधारक एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब, मसूदा जिला अजमेर

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

:– आदेश :– दिनांक 21.06.2016

प्रर्थिया ने इस प्रार्थना पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम पीपलाज भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खरवा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित अराजी खसरा न0 1735/2 रकबा 00–09–06 अप्रार्थिया सं0 1 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि है तथा खसरा न0 1735/1 रकबा 02–10–03 प्रार्थिया की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि है, जिस पर पक्षकारान उसी अनुसार कब्जे उपभोग में है। जमाबंदी में भी पक्षकारान का उसी अनुसार क्षेत्रफल अंकित चला आता है लेकिन राजस्व नक्शे में प्रार्थिया के खसरा न0 1735/1 को उसके क्षेत्रफल के विपरीत छोटा दर्शाया गया है तथा अप्रार्थीया सं0 1 के खसरा न0 1735/2 को बडा दर्शाया गया है। अतः जमाबंदी के रकबे एवं मौका स्थिति अनुसार नक्शे में दुरूस्ती करवाई जावे। जवाब प्रार्थना पत्र में भी अप्रार्थिया सं0 1 ने प्रार्थना–पत्र के कथन सही होने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दुरूस्ती कर देने में उसे कोई आपत्ति नहीं होने का निवेदन किया है। इसी आशय का एक सहमति पत्र प्रार्थिया एवं अप्रार्थिया ने प्रस्तुत किया।

अप्रार्थी सं0 2 ने भी अपने जवाब में निवेदन किया है कि खसरा न0 1735 में लाल स्याही से खसरा न0 1735/1 व 1735/2 की तरमीम हुई जिसमें खसरा न0 1735/1 जो क्षेत्रफल में रिकॉर्ड एवं मौके अनुसार छोटा है उसे बडा दर्शा दिया गया है एवं खसरा न0 1735/2 जो क्षेत्रफल में रिकॉर्ड एवं मौके अनुसार बडा है उसे छोटा दर्शा दिया गया है। अप्रार्थी सं0 2 ने दुरूस्ती करने की अनुशंषा के साथ रिपोर्ट पेश की है।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में ग्राम पंचायत मुख्यालय कानाखेडा पेश हुई। प्रार्थिया एवं अप्रार्थिया 1 व अप्रार्थिया 2 उपस्थित। उन्हें सुना गया। अभिलेख कर अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है अतः स्वीकार किया जाता है और तहसीलदार मसूदा पर आदेश पारित किये जाते है कि वे खसरा न0 1735 में की गई तरमीम को पुनः दुरूस्त करते हुए खसरा न0 1735/1 को रकबा 02–10–03 के अनुसार नक्शे में बडा नम्बर तरमीम करावें तथा खसरा न0 1735/2 को रकबा 00–09–06 के अनुसार छोटा तरमीम करावें। आदेश की पालना अन्दर मयाद एक सप्ताह करवाना सुनिश्चित करावें।

आदेश आज दिनांक 21.06.2016 को "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम मुकाम कानाखेडा पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.01.29 12:37:42 IST
Reason: SelfAttested